1772813/2022

संख्या– 1239 /xxxi(15)G/22-06 (सा0)/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 25, अक्टूबर, 2022

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सुझाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–6575 दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से डॉ0 दिनेश चन्द्र पाठक, अधिवक्ता के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2022 की संलग्नक प्रति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप में अपना नाम, पत्राचार के पते में डाकघर के पिनकोड तथा अपने पत्र में कार्यालय का दूरभाष, अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित नहीं किये जाने से आवेदनकर्ता को पत्राचार करने में अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गतलोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट रूप में अपना नाम, पत्राचार के पते में डाकघर के पिनकोड तथा अपने पत्र में कार्यालय का दूरभाष, अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 अंकित कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि आवेदनकर्ताओं को सूचना प्राप्त करने में कोई असुविधा उत्पन्न न हो।

संलग्नः यथोपरि।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 25-10-2022 15:59:51

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः 1239 /xxxi(15)G/22-06 (सा0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 04.10.